न्यायालय : अति0 सेशन न्यायाधीश, क्रम–1,
जयपुर जिला, जयपुर

पीठासीन अधिकारी : विकास कालेर, आर.जे.एस.
"जिला न्यायाधीश संवर्ग"

फौजदारी निगरानी संख्या : 02/2024 (21/2024)

एन.सी.वी. नं. : 21/2024

1– केशव कुमार गौतम पुत्र श्री रघुवीरशरण शर्मा, निवासी– शॉप नंबर 13, तारा नगर, ए शहर ऑफ गोल्डन डोम्स के पीछे, जगतपुरा, जयपुर।

2– डॉ0 अवधेश कुमार गौतम पुत्र श्री रघुवीरशरण शर्मा, निवासी–मकान नंबर 14, तारा नगर, जगतपुरा रेल्वे ओवरब्रिज के पास, मालवीय नगर, जयुपर।

3– विक्रम सिंह आनन्द पुत्र श्री बलदेव सिंह, निवासी–13, तारा नगर, जगतपुरा, जयपुर।

––निगरानीकारान/प्रार्थीगण

बनाम

1– राजस्थान सरकार जरिये लोक अभियोजक, जयपुर।

2– मनीष कुमार शर्मा पुत्र श्री भगवान शर्मा, निवासी–मकान नंबर 82, शिवराम कॉलोनी, पुलिस थाना मालवीय नगर, जयपुर।

––गैरनिगरानीकारान/अप्रार्थीगण

दाण्डिक निगरानी याचिका विरूद्ध आदेश दिनांक 27.10.2016 द्वारा नीलिमा पंवार, आर.जे.एस. न्यायालय महानगर मजिस्ट्रेट, क्रम–15, जयपुर महानगर, मूल दांडिक प्रकरण संख्या 674/2016, (473/2018) परिवादी मनीष कुमार, एफआर नंबर 438/2006 पुलिस थाना मालवीय नगर में पारित आदेश बाबत प्रसंज्ञान।

उपस्थिति:

1 – श्री रामेश्वर डी.अवस्थी, अधिवक्ता,निगरानीकारान की ओर से।
2 – अपर लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।
3– सर्व श्री रणधीरसिंह, निशांत शर्मा, अधिवक्तागण, गैरनिगरानीकार सं. 2 की ओर से।

:: आदेश :: **दिनांकः 16 जून, 2026**

1. निगरानीकारान द्वारा यह निगरानी विचारण न्यायालय महानगर मजिस्ट्रेट, क्रम–15, जयपुर महानगर द्वारा पारित प्रसंज्ञान आदेश दिनांक 27.10.2016 से व्यथित होकर, माननीय सेशन न्यायालय, जयपुर जिला, जयपुर के यहां पेश की गयी जो कालांतर में अंतरित होकर इस न्यायालय में प्राप्त हुई।

2. निगरानीकारान की ओर से निगरानी याचिका पेश करने में हुई देरी को क्षमा करने हेतु निगरानी याचिका के साथ पृथक् से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जाहिर किया कि, निगरानीकर्ता द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 783/2006 पुलिस थाना मालवीय नगर द्वारा प्रस्तुत एफआर संख्या 438/2006 प्रस्तुत करने पर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रोटेस्ट पिटीशन पर दिनांक 27.10.2016 को प्रसंज्ञान आदेश पारित किया गया है जिसकी जानकारी निगरानीकारान को न्यायालय में उपस्थित होकर जमानत करवाने पर दिनांक 23.02.2024 को प्राप्त हुई जिसकी दिनांक 28.02.2024 को प्रमाणित प्रति प्राप्त कर निगरानी याचिका, निगरानीकारान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

निगरानीकारान द्वारा उक्त निगरानी को प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के खंडन बाबत् गैरनिगरानीकारान की ओर से विनिर्दिष्ट रूप से कोई कथन नहीं किया गया है। निगरानीकारान द्वारा उक्त निगरानी को प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करने के लिए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में विहित कारण युक्तियुक्त प्रतीत होता है। अतः निगरानीकारान द्वारा निगरानी प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाकर प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण किया जा रहा है।

3. प्रकरण के तथ्यों के मुताबिक गैर निगरानीकार सं. 2 मनीष कुमार शर्मा द्वारा एक लिखित तहरीरी रिपोर्ट दिनांक 19.12.2006 को थानाधिकारी, पुलिस थाना मालवीय नगर के समक्ष इस आशय की पेश की गई कि ''दिनांक 19.12.2006 को रात्रि 7.00 बजे केशव कुमार, अवधेश गौतम, विक्रम सिंह एवं अन्य तीन व्यक्तियों ने उसके आवास में अंदर घुसकर उसकी मॉ एवं पत्नी, जो घर में अकेली थी, के साथ अश्लील गाली–गलौच की एवं जान से मारने की धमकी

दी। इन व्यक्तियों के हाथ में हथियार थे जिन्होने उसकी पत्नी एवं मां के साथ मारपीट की तथा जाते–जाते मकान की दीवार को तोड़ गए। शोर–शराबा सुनकर मौके पर अतुल, दीपक एवं अन्य पड़ौसी पहुंचे जिन्हें देखकर उक्त सभी लोग मौके से भाग गए.....आदि।''

4. उक्त तहरीरी रिपोर्ट पर पुलिस थाना मालवीय नगर में प्रथम् सूचना रिपोर्ट संख्या 783/2006 अपराध अंतर्गत धारा 451, 506, 354, 427 भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज कर बाद अनुसंधान अदम वकु (झूठ) में अंतिम प्रतिवेदन संख्या 438/06 पेश किया गया। उक्त अंतिम प्रतिवेदन से व्यथित होकर गैर निगरानीकार सं. 2 द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रोटेस्ट पिटीशन पेश की गई एवं प्रोटेस्ट पिटीशन के समर्थन में परिवादी ने स्वयं को बतौर गवाह सी.ड. 1, सी.ड. 2 पुष्पेन्द्र, सी.ड. 3 रामबिहारी को परीक्षित करवाया गया। तत्पश्चात् विचारण न्यायालय द्वारा बहस प्रसंज्ञान सुनी जाकर आदेश दिनांक 27.10.2016 द्वारा मुलजिमान केशव गौतम, अवधेश गौतम, विक्रम, राजेश व हनुमान के विरूद्ध धारा 451, 506 भारतीय दंड संहिता के अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुए आरोपीगण को जमानती वारंट से तलब किये जाने का आदेश दिया गया। जिस आदेश से व्यथित होकर उक्त निगरानी याचिका निगरानीकारान द्वारा श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायालय, जयपुर जिला जयपुर के समक्ष पेश की गई, जहां से पत्रावली कालांतर में अंतरित होकर विधिवत सुनवाई एवं निस्तारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुई।

5. बहस निगरानी सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता निगरानीकारान का दौराने बहस तर्क रहा है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा निगरानीकारान के विरूद्ध प्रसंज्ञान आदेश विधि विरूद्ध व तथ्यों के विपरीत होने के कारण अपास्त किए जाने योग्य हैं। विद्वान विचारण न्यायालय ने अनुसंधान अधिकारी द्वारा किये गये अनुसंधान के तथ्यों पर विचार नहीं किया तथा अनुसंधान अधिकारी द्वारा प्रस्तुत एफआर संख्या 438/2006 में स्पष्ट उल्लेख किया है कि गैरनिगरानीकार संख्या–2 ने निगरानीकारान की गैर मौजूदगी में निगरानीकार विक्रम आदि के मकान के गेट को ईंटों से चिनवाकर बंद करवा दिया था जिस बात को दबाने

के लिए उक्त झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया है जबकि उक्त दिवस को अवधेश गौतम जैसलमेर तथा विक्रम सिंह दिल्ली गये हुए थे तथा मकानों पर ताले लगे हुए थे, जिन तथ्यों पर विचार के बिना ही माननीय विचारण न्यायालय द्वारा उक्त आक्षेपित आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। प्रकरण में परिवादी ने बरवक्त घटना स्वयं को मौके पर मौजूद होने से इंकार किया है। परिवादी की पत्नी तथा माता को न्यायालय के समक्ष परीक्षित नहीं करवाया गया है। न ही परिवादी की पत्नी व माता के साथ मारपीट होने सम्बन्धी कोई मौखिक एवं दस्तावेजी चिकित्सीय साक्ष्य पेश की गई है। गवाह सी.ड. 2 व सी. ड. 3 की बरवक्त घटना मौके पर उपस्थिति भी संदेहास्पद है। अंत में विद्वान विचारण न्यायालय का आदेश अपास्त किए जाने की प्रार्थना की।

6. विद्वान अधिवक्ता गैरनिगरानीकारान ने संयुक्त रूप से उक्त तर्को का विरोध करते हुए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत व तथ्यों के आधार पर होने के आधार पर निगरानी खारिज किए जाने की प्रार्थना की। उनका तर्क रहा है कि परिवादी ने विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष अपनी प्रोटेस्ट पीटीशन के समर्थन में स्वयं के अलावा अन्य गवाहान के भी कथन लेखबद्ध करवाए हैं जिसमें गवाहान ने घटना की पूर्ण रूप से ताईद की हैं। विद्वान विचारण न्यायालय ने निगरानीकारान के विरूद्ध प्रसंज्ञान लिए जाने में किसी प्रकार की कोई विधि व तथ्यों की त्रुटि कारित नहीं की हैं और निगरानीकारान के विरूद्ध प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित है। अतः निगरानीकारान द्वारा प्रस्तुत निगरानी अस्वीकार कर खारिज फरमायी जावे।

7. तर्कों पर मनन किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश दिनांकित 27.10.2016 एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन, अवलोकन किया गया।

8. निगरानी याचिका को निस्तारित करते समय न्यायालय को मुख्य रूप से यह विचार करना है कि ''क्या विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश में कोई अवैधानिकता है अथवा उसका निष्कर्ष दूषित है या पत्रावली में आई साक्ष्य के आधार पर गलत निष्कर्ष पारित किया है?''

9. पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट हैं कि, परिवादी मनीष कुमार द्वारा पुलिस थाना मालवीय नगर में दर्ज करवाई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 738/2006 के अनुसार दिनांक 19.12.2006 को सायं 07.00 बजे निगरानीकारान सहित अन्य तीन व्यक्ति हथियारों सहित परिवादी के घर में घुसे तथा परिवादी की माता व पत्नी के साथ मारपीट करते हुए अश्लील गाली–गलौच की और जान से मारने की धमकी दी। बरवक्त घटना मौके पर अतुल, दीपक व अन्य पड़ौसी पहुंच गये, जिनको देखकर अपराधी मौके से भाग गये। उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्ज तथ्यों के समर्थन में परिवादी मनीष कुमार विचारण न्यायालय के समक्ष बतौर गवाह सी.ड. 1 परीक्षित हुआ है जिसने प्रश्नगत घटना के समय स्वयं को घटनास्थल अर्थात् अपने घर पर मौजूद नहीं होना बताया है अर्थात् स्वीकृत रूप से परिवादी मनीष कुमार प्रश्नगत घटना का चश्मदीद साक्षी नहीं है। अतः उक्त घटना की ताईद परिवादी की माता व पत्नी द्वारा ही की जा सकती थी परन्तु परिवादी पक्ष की ओर से विचारण न्यायालय में दौराने सबूत सरसरी परिवादी की माता व पत्नी में से किसी भी साक्षी को न्यायालय के समक्ष परीक्षित नहीं करवाया गया है। यद्यपि परिवादी ने विचारण न्यायालय में प्रोटेस्ट पिटीशन प्रस्तुत किये जाने के समय पुलिस द्वारा उसके गवाहान के बयान लेखबद्ध नहीं करना एवं परिवादी द्वारा उक्त गवाहान के बयान न्यायालय के समक्ष लेखबद्ध करवाने हेतु तैयार रहने का कथन अंकित किया है परन्तु इसके बावजूद परिवादी की माता व पत्नी का न्यायालय के समक्ष परीक्षित न होना प्रश्नगत घटना को संदेहास्पद बना देता है। परिवादी द्वारा संस्थित करवाई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं दौराने सबूत सरसरी विचारण न्यायालय के समक्ष बतौर गवाह सी.ड. 1 लेखबद्ध करवाये गये बयानों में परिवादी ने निगरानीकारान द्वारा उसकी माता व पत्नी के साथ मारपीट करना तथा बरवक्त घटना निगरानीकारान के पास हथियारों का होना भी बताया है परन्तु इसके बावजूद परिवादी की माता व पत्नी के साथ मारपीट होने से आई चोटों के बाबत् किसी प्रकार का कोई चोट प्रतिवेदन प्रपत्र अथवा अन्य ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं हुआ है जिससे जाहिर होता हो कि परिवादी की माता व पत्नी के शरीर

पर किसी प्रकार की चोटें कारित हुई हों। परिवादी द्वारा संस्थित करवाई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट में परिवादी ने बरवक्त घटना अतुल व दीपक का मौके पर पहुंचना बताया है परन्तु सबूत सरसरी के दौरान विचारण न्यायालय में उक्त अतुल व दीपक में से किसी भी व्यक्ति को परिवादी द्वारा परीक्षित नहीं करवाया गया है बल्कि चश्मदीद साक्षीगण के बतौर अन्य गवाहान सी.ड. 2 पुष्पेन्द्र एवं सी.ड. 3 रामबिहारी को परीक्षित करवाया गया है, जिनकी साक्ष्य पर गौर करें तो प्रकट होता है कि गवाह सी.ड. 2 पुष्पेन्द्र बरवक्त घटना स्वयं तथा रामबिहारी को राजवीर के घर की छत पर टहलने के दौरान उक्त घटना की जानकारी मिलना बताता है जबकि अन्य गवाह सी.ड. 3 रामबिहारी वरवक्त घटना स्वयं के मकान की छत पर टहलना बताता है। इस प्रकार उक्त गवाहान सी.ड. 2 व सी.ड. 3 के उपरोक्तानुसार विरोधाभासी तथ्यों एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट में उक्त गवाहान की मौके पर उपस्थिति बाबत् किसी प्रकार का कोई कथन अंकित न होने के मद्देनजर मौके पर उक्त गवाहान सी.ड. 2 व सी.ड. 3 की उपस्थिति भी संदेहास्पद हो जाती है।

10. वर्तमान स्तर पर हस्तगत न्यायालय को विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश दिनांक 27.10.2016 की शुद्धता, वैधता एवं औचित्यपूर्ण होने की स्थिति को देखना है। यद्यपि विचारण न्यायालय ने अपने उक्त आदेश में यह माना है कि प्रसंज्ञान के स्तर पर न्यायालय को केवल प्रथम दृष्ट्या मामला देखना होता है परन्तु प्रथम दृष्ट्या मामले के गठन हेतु पत्रावली पर आधारभूत साक्ष्य का होना भी आवश्यक है। स्वयं आहतगण का विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होकर परीक्षित न होना, आहतगत के शरीर पर आई चोटों बाबत् बतौर चिकित्सीय साक्ष्य किसी प्रकार की कोई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य न होना, घटना के चश्मदीद साक्षीगण की साक्ष्य से उक्त गवाहान की मौके पर उपस्थिति संदेहास्पद होना प्रकरण में किसी भी प्रकार से प्रथम दृष्ट्या मामले का गठन नहीं करती है। विचारण न्यायालय द्वारा सबूत सरसरी के दौरान परिवादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई साक्ष्य का समुचित विवेचन एवं विश्लेषण नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में न्यायालय के मत में विचारण न्यायालय द्वारा

पारित आदेश दिनांक 27.10.2016 को किसी भी प्रकार से वैध, शुद्ध एवं औचित्यपूर्ण नहीं माना जा सकता।

11. अतः निगरानीकारान केशव कुमार व अन्य की ओर से प्रस्तुत निगरानी विरूद्ध राजस्थान सरकार व अन्य स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.10.2016 को अपास्त किया जाता है।

12. आदेश की सत्य प्रति वर्तमान विचारण न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम–2, जयपुर जिला, जयपुर में वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब भिजवायी जावें।

(विकास कालेर)
अति0 सेशन न्यायाधीश,
क्रम–1, जयपुर जिला, जयपुर

13. आदेश आज दिनांक 16 जून, 2026 को विवृत न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(विकास कालेर)
अति0 सेशन न्यायाधीश,
क्रम–1, जयपुर जिला, जयपुर